राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)
Email: rj-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांकः– एफ–07 (36)/रालसा/संस्था/पीएलए चैयरमैन/विविध/2026/737 दिनांकः 28/10/26

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–बी के अधीन जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय, मेड़ता सिटी पर संस्थापित स्थायी लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री सुशील कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश) का इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ–07 (26)/रालसा/संस्था/पीएलए अध्यक्ष स्था./2023/703 दिनांक 08.10.2026 द्वारा स्थानान्तरण अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, जयपुर महानगर–प्रथम के पद पर होने के फलस्वरूप माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नवीन पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता सिटी को स्थायी लोक अदालत, मेड़ता सिटी के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्य (As a Part time Chairperson) करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता सिटी को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष का कार्य करने पर नियमानुसार मानदेय देय होगा।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 03 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए स्थायी लोक अदालत, मेड़ता सिटी के पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण स्थायी लोक अदालत, मेड़ता सिटी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता सिटी को स्थायी लोक अदालत, मेड़ता सिटी के कार्यालय के वित्तीय कार्यों के प्रयोजनार्थ कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया जाता है। ये प्रावधानानुसार अपने कर्त्तव्य व दायित्वों सामान्यतया सरकार के सामान्य व वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी आदेशों में निर्धारित किए गए एवं महत्वपूर्ण कर्तव्यों का सारांश जी0एफ एंड ए0आर0 के परिशिष्ठ 01 में दिया गया है, के साथ–साथ अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे।

विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना दिनांक 15.05.2025 में स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्ते) संशोधन नियम 2025 जिसका भारत के राजपत्र दिनांक 15.05.2025 में प्रकाशन हुआ है के नियम–3 के अनुसार स्थाई लोक अदालत की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी और एक सौ तक लंबित मामलों वाली स्थाई लोक अदालत सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी तथा एक सौ से अधिक लंबित मामलो वाली स्थाई लोक अदालत सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी।

आज्ञा से,

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)

Email: rj-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांकः– एफ–07 (36) / रालसा / संस्था / पीएलए चैयरमैन / विविध / 2026 / 34441 –34454 दिनांकः 28.10.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता सिटी।
7. अध्यक्ष / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता सिटी।
8. अध्यक्ष / सदस्य, स्थायी लोक अदालत, मेड़ता सिटी।
9. निदेशक / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव–प्रथम / द्वितीय, रालसा, जयपुर।
10. सचिव, रा.उ.न्या.वि.से.स. जयपुर / जोधपुर।
11. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
12. नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर।
13. वरिष्ठ उप सचिव / लेखाधिकारी / प्रोग्रामर कार्यालय हाजा, जयपुर।
14. आदेश / संबंधित / रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर